

# आपके पास अधिकार हैं: अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें चिकित्सक के पास जाना

चिकित्सक एवं उपचारिकाएं (नर्स) आपकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करते हैं, आपके आरजन स्थिति की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भय के देखभाल की मांग करनी चाहिए। वर्तमान में, आरजन एजेंटों को अधिकांश मामलों में अस्पतालों, स्वास्थ्य चिकित्सालयों, तत्काल देखभाल, या चिकित्सकों के कार्यालयों में गिरफ्तारियों तथा अन्य प्रवर्तन कार्रवाइयों से बचना चाहिए।




**आप बिना बीमा के अभी भी स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकते हैं।**

इसमें आपातकालीन कक्ष देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रवासी स्वास्थ्य केंद्र, मुफ्त चिकित्सालय, सार्वजनिक अस्पताल, एवं अन्य विकल्प शामिल हैं।

- कोई स्वास्थ्य केंद्र खोजने हेतु <https://findahealthcenter.hrsa.gov> पर जाएं।
- स्वास्थ्य केंद्र खोजें: <https://findahealthcenter.hrsa.gov/widgets/spanish/>
- कोई निःशुल्क या धर्मार्थ चिकित्सालय खोजने हेतु [www.nafcclinics.org/find-clinic](http://www.nafcclinics.org/find-clinic) पर जाएं।

**स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को आरजन स्थिति की जानकारी नहीं मांगनी चाहिए।** अस्पताल के आपातकालीन कक्षों में हर उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए जिसे आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता हो। यही बात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी लागू होती है। बीमा, धनराशि या आरजन दस्तावेज़ होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि कोई आपसे स्वास्थ्य बीमा के संबंध में पूछता है, तो आप कह सकते हैं कि *“मैं स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र नहीं हूँ और आवेदन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ।”*

**अस्पताल या चिकित्सक यह दर्शाने हेतु एक फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र मांग सकते हैं कि जो व्यक्ति उपचार प्राप्त कर रहा है, वह वही व्यक्ति है जो चिकित्सा अभिलेखों या दवा पर्ची पर सूचीबद्ध है।** अस्पताल या चिकित्सक इस जानकारी को आरजन एजेंटों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं है, तो आप कह सकते/सकती हैं कि *“मुझे चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है लेकिन मेरे पास फ़ोटो आईडी नहीं है।”*



यदि आपको देखभाल की आवश्यकता है, तो चिकित्सक से मिलना एवं आपातकालीन कक्ष में जाना सुरक्षित और बुद्धिमानी है। आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता आपकी निजता के अधिकार का सम्मान करेगा। जब तक आप बीमा के लिए आवेदन नहीं करते हैं, आपसे आपकी आव्रजन स्थिति के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आपकी आव्रजन स्थिति को देखभाल प्राप्त करने में बाधा नहीं बनना चाहिए।



## आपके पास अधिकार हैं: अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें स्वास्थ्य बीमा में नामांकन करवाना



हम चाहते हैं कि आप अपने प्रियजनों की सहायता करने वाले स्वास्थ्य, आवास एवं पोषण कार्यक्रमों का उपयोग करना जारी रखें। अनेक आप्रवासी स्वास्थ्य बीमा के लिये पात्र हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा होने से साधारण समस्याओं की देखभाल वहन करने योग्य बन जाती हैं, इससे पहले कि वे अधिक गंभीर या महंगी आपात-स्थिति बन जाएं। स्वस्थ रहना आपको कार्य जारी रखने और अपने परिवार की सहायता करने में समर्थ बनाता है।

स्वास्थ्य बीमा के लिए आवेदन करते समय सुदृढ़ निजता नियम आपकी व्यक्तिगत जानकारियों की रक्षा करते हैं। जब आप Medicaid, चिल्ड्रेन्स हेल्थ इन्सुरेंस प्रोग्राम या अफोर्डेबल केयर अधिनियम (ACA या Obamacare) के लिए आवेदन करते हैं, तो आपके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का उपयोग केवल कार्यक्रम हेतु आपकी पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। यह जानकारी आव्रजन एजेंटों के साथ साझा नहीं की जाती है।



अफोर्डेबल केयर अधिनियम (ACA या Obamacare) अभी भी एक क़ानून है। यदि आप पात्र हैं तो आपको स्वास्थ्य बीमा के लिए आवेदन करना चाहिए। सुनिश्चित नहीं हैं कि आप या कोई पारिवारिक सदस्य पात्र हैं? आपके लिये निःशुल्क नामांकन सहायता उपलब्ध है।

- और अधिक जानने हेतु <https://www.healthcare.gov/immigrants/immigration-status/> पर जाएं।
- आपके क्षेत्र में वैयक्तिक सहायता खोजने हेतु <https://localhelp.healthcare.gov/> पर जाएं।

**बच्चे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए योग्य हो सकते हैं, भले ही वे या उनके माता-पिता बिना दस्तावेज़ के हो।**

सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा में अपने पात्र बच्चों को नामांकित कराने से आपके आव्रजन आवेदन को नुकसान नहीं होगा। यदि आप अपने बच्चों या परिवार के किसी सदस्य के लिए बीमा हेतु आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी आव्रजन स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। Medicaid, CHIP, या ACA के लिए, केवल सुरक्षा चाहने वाले व्यक्ति को ही अपनी नागरिकता या आव्रजन स्थिति प्रदान करनी चाहिए। यदि आप किसी पात्र पारिवारिक सदस्य की ओर से, जैसे कि कोई बच्चा, आवेदन कर रहे हैं, तो आपको केवल उनकी जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। यदि आप बिना किसी दस्तावेज़ के हैं और परिवार के किसी सदस्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अपनी आव्रजन स्थिति के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आप यह कह सकते हैं, “मैं स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा हेतु आवेदन नहीं कर रहा/रही हूँ।”

**स्वास्थ्य बीमा हेतु आवेदन करने या स्वास्थ्य देखभाल मांगने पर हर किसी को एक दुभाषिया पाने का अधिकार है।** जब आप Medicaid, CHIP, या ACA योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको बिना किसी कीमत के दुभाषिया पाने का अधिकार होता है। अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखभाल मांगे जाने के दौरान आपको बिना किसी कीमत के दुभाषिया पाने का अधिकार है। अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रोगियों को सहायता प्रदान करने हेतु द्विभाषी कर्मचारियों, टेलीफोन अनुवाद सेवाओं, या योग्यता प्राप्त वैयक्तिक दुभाषियों का उपयोग कर सकते हैं।